

:: कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी ::
संख्या 181889/10-स्था0(465)/स0ख0वि0अ0/स्थाना./2025-26 दिनांक 10 जून, 2025
:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20(1)/2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सुगम क्षेत्रों में स्थित विकास खण्डों/जनपदों में कार्यरत निम्न तालिका में उल्लिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित विकास खण्ड/जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	सहायक खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार/स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
01	02	03	04	05
1	श्री हिम्मत गिरी गोस्वामी	गैरसैण, जनपद चमोली	स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-(1)-(क) 'सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण' के तहत
2	श्री राजीव कुमार	भगवानपुर, जनपद हरिद्वार	यमकेश्वर, जनपद पौड़ी	
3	श्री लक्ष्मी लाल वर्मा	चम्पावत, जनपद चम्पावत	बाराकोट, जनपद चम्पावत	
4	श्री चन्द्रशेखर लाहुमी	डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़	मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़	
5	श्री राजेन्द्र सिंह गुंसाई	कीर्तिनगर, जनपद टिहरी	भिलंगना, जनपद टिहरी	
6	श्री नन्दन गिरी गोस्वामी	थराली, जनपद चमोली	ताकुला, जनपद अल्मोड़ा	
7	श्री नरेन्द्र सिंह नौटियाल	बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार	चकराता, जनपद देहरादून	
8	श्री अशोक सिंह अधिकारी	चम्पावत, जनपद चम्पावत	पाटी, जनपद चम्पावत	श्रीमती उर्मिला बिष्ट, की दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष
9	श्री प्रकाश चन्द्र भैंतवाल	नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी (सम्बद्ध वि0ख0 चकरौता, देहरादून)	कालसी, जनपद देहरादून	
10	श्री सुदर्शन सिंह बुटौला	खिर्सू, जनपद पौड़ी	थलीसैण, जनपद पौड़ी	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-(1)-(क) 'सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण' के तहत
11	श्री भूपेन्द्र सिंह रावत	नौगांव, जनपद उत्तरकाशी	भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी	
12	श्री प्रकाश	नौगांव, जनपद	थौलधार, जनपद	

पंवार	उत्तरकाशी	टिहरी	
13 श्री प्रकाश चन्द्र मैखुरी	कर्णप्रयाग, जनपद चमोली	जोशीमठ, जनपद चमोली	
14 श्री रमेश सिंह बिष्ट	गरुड़, जनपद बागेश्वर	धारी, जनपद नैनीताल	
15 श्री वीरेन्द्र मोहन टि लिडियाल	चम्बा, जनपद टिहरी	थौलधार, जनपद टिहरी	
16 श्री रमेश चन्द्र नैनवाल	काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर	नैनीडांडा, जनपद पौड़ी	
17 श्री शेखर जोशी	बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर	भिकियासैण, जनपद अल्मोड़ा	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम - 2017 की धारा-17-(1) -(क) 'सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण' के तहत
18 श्री विजय सिंह नेगी	अगस्तमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग	जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग	
19 श्री अनूप सिंह चौकड़ायत	रामनगर, जनपद नैनीताल	भैसियाछाना, जनपद अल्मोड़ा	

1- उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को तदनुसार तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
(अनुराधा पाल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

संख्या 181889/10-स्था0(465)/स0ख0वि0अ0/स्थाना0/तददिनांकित
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1)के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात् उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन पूर्व तैनाती स्थान के सापेक्ष आहरित नहीं किया जाय।

5. उक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।
6. उपरोक्त सम्बन्धित सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।

Digitally signed by
BHARAT CHANDRA BHATT
Date: 10-06-2025
17:12:07

अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

::कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी::
संख्या।818872-स्था0(465)/ स0ख0वि0अ0/स्थाना./ 2025-26 दिनांक 10 जून, 2025
:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/ 2018/20(1) /2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर निम्न तालिका में उल्लिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित विकास खण्ड/जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	सहायक खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार/ स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
01	02	03	04	05
1	श्री दुर्गा राम	द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा	मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 13(6) एवं 17(1)(ख)(पॉच) के अन्तर्गत
2	श्री शमीम अहमद	भैसियाछाना, जनपद अल्मोड़ा	रामगढ़, जनपद नैनीताल	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख)(छः) के अन्तर्गत
3	श्री कमलेश कुमार काण्डपाल	रुड़की, जनपद हरिद्वार	काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर	शासन के पत्र संख्या- 06 दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के द्वारा धारा-27 के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति के क्रम में
4	श्री उमेश चन्द्र सनवाल	सल्ट, जनपद अल्मोड़ा	बेतालघाट, जनपद नैनीताल	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख)(छः) के अन्तर्गत

1- उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को उक्तानुसार अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के तहत किसी भी प्रकार स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

2- उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
 (अनुराधा पाल)
 आयुक्त,
 ग्राम्य विकास।

संख्या।81887/10-स्था0(465)/स0ख0वि0अ0/स्थना0/तददिनांकित

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी
5. उक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।
6. उपरोक्त सम्बन्धित सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।

Digitally signed by
BHARAT CHANDRA BHATT
Date: 10-06-2025
17:08:57

अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

::कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी::

संख्या।~~6188~~10-स्था0(465)/ स0ख0वि0अ0/स्थाना./ 2025-26 दिनांक 10 ~~जून~~ 2025

:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/ 2018/20(1)2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विकास खण्डों/जनपदों में कार्यरत निम्न तालिका में उल्लिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित विकास खण्ड/जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	सहायक खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार/ स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
01	02	03	04	05
1	श्री धनराम	स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा	गरुड़, जनपद बागेश्वर	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-(1)-(ग) 'दुर्गम स्थान से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण' के तहत
2	श्री गोपाल सिंह नेगी	भिकियासैण, जनपद अल्मोड़ा	हवालबाग, जनपद अल्मोड़ा	
3	श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे	भिकियासैण, जनपद अल्मोड़ा	रामनगर, जनपद नैनीताल	
4	श्री कमल लाल	थलीसैण, जनपद पौड़ी	भगवानपुर, जनपद हरिद्वार	
5	श्री आनन्द स्वरूप ग्वासीकोटी	बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़	डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़	
6	श्री आनन्द बल्लभ भट्ट	ताकुला, जनपद अल्मोड़ा	चम्पावत, जनपद चम्पावत	
7	श्री जगदीश सिंह कार्की	पाटी, जनपद चम्पावत	चम्पावत, जनपद चम्पावत	
8	श्री प्रमोद चन्द्र पाण्डे	नैनीडांडा, जनपद पौड़ी	बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर	
9	श्री सुरेश शाह	जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग	
10	श्री कैलाश चन्द्र रमोला	भट्वाड़ी, जनपद उत्तरकाशी	नौगांव, जनपद उत्तरकाशी	
11	श्री बिजेन्द्र सिंह चौहान	प्रतापनगर, जनपद टिहरी (सम्बद्ध विकास खण्ड थौलधार)	डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी	

12	श्री जंगी लाल	ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग	चम्बा, जनपद टिहरी
13	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	पोखरी, जनपद चमोली	बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार
14	श्री विनोद कुमार	यमकेश्वर, जनपद पौड़ी	खिर्सू, जनपद पौड़ी
15	श्री सुनील उनियाल	चकराता, जनपद देहरादून	रायपुर, जनपद देहरादून
16	श्री नरेश चन्द्र सुयाल	एकेश्वर, जनपद पौड़ी	नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी
17	श्री विनय कुमार बहुगुणा	भिलंगना, जनपद टिहरी	देवप्रयाग, जनपद टिहरी
18	श्री उमाकान्त पन्त	धारी, जनपद नैनीताल	थराली, जनपद चमोली
19	श्री जगदीश प्रसाद	मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़	डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़

2- उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
(अनुराधा पाल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

संख्या 181885/10-स्था0(465)/स0ख0वि0अ0/स्थाना0/तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी
5. उक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।
6. उपरोक्त सम्बन्धित सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।

Digitally signed by
BHARAT CHANDRA BHATT
Date: 10-06-2025
17:06:57

अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी
संख्या 181888 10-स्था0(465)/सखविअ-स्थाना0/2025-26 दिनांक 10 जून, 2025
:: आदेश ::

निम्न सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ - 3 में इंगित विकास खण्ड से स्तम्भ - 4 के विकास खण्ड में उनकी स्वेच्छा पर स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-18 के प्राविधानों के अनुसार पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है।

क्र.स.	नाम सहायक खण्ड विकास अधिकारी	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/ जनपद	स्थानान्तरित विकास खण्ड एवं जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद	भिलंगना (दुर्गम विकास खण्ड), टिहरी	चौखुटिया (सुगम विकास खण्ड), अल्मोड़ा	स्वेच्छा पर पारस्परिक स्थानान्तरण
	श्री दिलमणी जोशी	चौखुटिया (सुगम विकास खण्ड), अल्मोड़ा	भिलंगना (दुर्गम विकास खण्ड), टिहरी	
2	श्री के०एन० शर्मा	रामनगर (सुगम विकास खण्ड), नैनीताल	सितारगंज (सुगम विकास खण्ड), ऊधमसिंहनगर	स्वेच्छा पर पारस्परिक स्थानान्तरण
	श्री कुंवर सिंह सामन्त	सितारगंज (सुगम विकास खण्ड), ऊधमसिंहनगर	रामनगर (सुगम विकास खण्ड), नैनीताल	
3	श्री सुन्दर सिंह बसेड़ा	खटीमा (सुगम विकास खण्ड), ऊधमसिंहनगर	रामगढ़ (दुर्गम विकास खण्ड), नैनीताल	स्वेच्छा पर पारस्परिक स्थानान्तरण
	श्री संजय कुमार गांधी	रामगढ़	खटीमा	

	(दुर्गम विकास खण्ड), नैनीताल	(सुगम विकास खण्ड), ऊधमसिंहनगर	
--	---------------------------------	----------------------------------	--

उक्त स्थानान्तरण निमित्त किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर उक्त कार्मिकों को नव तैनाती के विकास खण्ड में योगदान किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
(अनुराधा पाल)
आयुक्त
ग्राम्य विकास

संख्या - 181888/10-स्था0(465)/सखविअ-स्थाना0/2025-26/दिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर।
2. जिला विकास अधिकारी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर।
4. खण्ड विकास अधिकारी, भिलंगना(जनपद टिहरी), चौखुटिया(जनपद अल्मोड़ा), रामनगर(जनपद नैनीताल), सितारगंज(जनपद ऊधमसिंहनगर), खटीमा(जनपद ऊधमसिंहनगर) एवं रामगढ़(जनपद नैनीताल)।
5. उक्त सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला विकास अधिकारी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर।

Digitally signed by
BHARAT CHANDRA BHATT
Date: 10-06-2025
17:09:57

अपर आयुक्त
ग्राम्य विकास